



पत्रांक - यूईपीएसीबी/एचओ/Noc-8015/950

दिनांक 13/09/2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

३० प्रोस्ट्रोन हाँस्पोन्स प्रा.लि. द्वारा श्री अदित्य कुमार (निवेशक), प्लाट सं. - 23 और २४, श्री बालाजी इंडस्ट्रियल एस्टेट, महुआवेड़ा गंज, काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा प्लाट सं. - २३ और २४, श्री बालाजी आशीषिक एस्टेट, महुआवेड़ा काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में ३६.०० टर्क्वेंजी क्षमता वाली थोक औषधि मध्यवर्ती की विनियोग इकाई स्थापित करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के सम्बन्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिए पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अनुर्गत प्रस्तावक के द्वारा इकाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी हैं। पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी है। आई.ए.अधिसूचना 14.09.2006 (पर्यावरणोंशीलता) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से लोक सुनवाई का प्राविधिक है, जिस हेतु ३० दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के सज्जानाथं दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु 'पैनल' की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत है।

१. जिलाधिकारी, जनपद ऊधमसिंहनगर या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो-लोक सुनवाई के अध्यक्ष।

२. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समर्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, २५-मुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, ४६-वी, आई.ए.पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, रामनारारोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर (v) कार्यालय, जिला पंचायत, ऊधमसिंहनगर (vi) जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर में उपलब्ध है, जिनका कोर्ट भी इच्छुक संस्थाएँ अथवा कर सकता है। इन पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रीति www.uppcb.gov.in पर भी उपलब्ध है।

३. प्रोस्ट्रोन हाँस्पोन्स प्रा.लि. द्वारा श्री अदित्य कुमार निवेशक, प्लाट सं.-23 और २४, श्री बालाजी इंडस्ट्रियल एस्टेट, महुआवेड़ा गंज, काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा प्लाट सं.-२३ और २४, श्री बालाजी आशीषिक एस्टेट, महुआवेड़ा, काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में ३६.०० टर्क्वेंजी क्षमता वाली थोक औषधि मध्यवर्ती की विनियोग इकाई स्थापित करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 16.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-१9 के संदर्भ में विद्यमान SoP नाम सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मानक का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुक्षमात्मक उपायों के साथ नियंत्रित की जाती है।

अतः सर्वाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनेक मीखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं अपीलियों इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, रामनारारोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से ३० दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
“गौरा देवी पर्यावरण भवन”



१६ वी आईटी० पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून